

स्वयं को लोकसेवक बताकर, स्वैच्छिक घोर उपहति कर, मृत्यु कारित करने के भय में डालकर अश्लील वीडियो बनाकर जबरजस्ती धन उगाही करने वाले गिरोह की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 अंजनी कुमार यादव द्वारा मय शाहपुर टीम के मु0अ0सं0 103/22 धारा 170,342,323,506,386,325,308,120बी भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्ता सीमा देवी पत्नी अर्जुन निवासी चिल्लुपार थाना बडहजगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- मु0अ0सं0 103/22 धारा 170,342,323,506,386,325,308,120बी भादवि थाना स्थानीय पर दिनांक 08.03.2022 को दो व्यक्ति कौवाबाग चौकी के पास एक गाड़ी को रुकवाये अपने को थाना शाहपुर का एसओ बताकर दोनो लोग गाड़ी में बैठ कर वादी मुकदमा अशोक सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी शिवपुर सहबाजगंज थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को डरा धमका कर राप्ती नगर फेज-1 में लेकर आये जहां पर दो महिला पहले से मौजूद थी। वादी मुकदमा को कमरे में बन्द कर मार पीट कर घायल कर देना मृत कारित करने के भय में डाल कर कपड़ा खोलवाकर नग्न कर देना और नग्न करके बैठी महिलाओं के विडियो बना कर धन का उगाही करना। दोनो व्यक्ति 1. अरविन्द पाण्डेय उर्फ गुड्डू उर्फ विवान पुत्र अरूण कुमार निवासी जमुहा थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया 2. रत्नेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ सोनू पुत्र गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी महेवा चुंगी टीपी नगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दोनो के विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रेषित है किन्तु दोनो महिला 1. नजिया खान पति सेरज खान निवासी रसूलपुर गोरखपुर वर्तमान नाम पता सीमा देवी पत्नी अर्जुन निवासी चिल्लुपार थाना बडहजगंज जनपद गोरखपुर दूसरी महिला पूनम पत्नी विनोद सिंह उर्फ राज निवासी मो0नं0 पोस्ट नौसड़ गोरखपुर फरार चल रही थी जो इस मुकदमे की वांछित थी नजिया खान उपरोक्त की पूर्व की शादी भाष्कर मधुबनी धनहा कुशीनगर दूसरी शादी सिराज रसूलपुर गोरखनाथ गोरखपुर तीसरी शादी अर्जुन चिल्लुपार बडहजगंज गोरखपुर जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुयी थी। जिसे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम-

सीमा देवी पत्नी अर्जुन निवासी चिल्लुपार थाना बडहजगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 103/2022 धारा 170,342,323,506,386,325,308 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अंजनी कुमार यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. म0का0 बबिता पाण्डेय थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. म0का0 दिव्या सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर